रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2019/फाल्गुन 22, 1940
No. 85] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/PHALGUNA 22, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

सं. 1(4)/2019-एस पी-I.—केन्द्र सरकार ने वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान करने के उद्देश्य से दिनांक 02.03.2019 को अधिसूचना सं. 1(4)/2019-एसपी-1 के द्वारा चीनी मिलों को सरल ऋण प्रदान करने संबंधी स्कीम अधिसूचित की है।

2. अब, दिनांक 02.03.2019 की उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त अधिसूचना का पैरा 2(ii) तथा 2(viii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

पैरा 2 (ii): बैंक केवल उन्हीं चीनी मिलों के ऋण आवेदनों पर विचार करेगा जिन्होंने वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के संबंध में उचित एवं लाभकारी मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार **दिनांक 28.02.2019 तक** देय गन्ना मूल्य बकाया के न्यूनतम 25 प्रतिशत का भुगतान **दिनांक 26.03.2019** तक कर दिया है।

पैरा 2 (viii): एक बार जब ऋण स्वीकृत हो जाता है और इसके वितरण की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती है तो बैंक संबंधित चीनी मिल से किसानों की सूची उनके बैंक खातों के विवरणों, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से क्रेडिट सुविधा प्राप्त की हुई है, उन किसानों का उधार खाता संख्या तथा ऐसे किसानों, जिन्होंने क्रेडिट सुविधा प्राप्त नहीं की हुई है उनका नियमित बचत खाता या चालू खाता संख्या और एफआरपी के आधार पर परिकलन से भुगतान किए जाने वाले गन्ना देयों के परिमाण के साथ जानकारी प्राप्त करेगा और चीनी मिलों की ओर से आबंटित निधि को किसानों के खातों में सीधे जमा किया जाएगा। **इसके बाद शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे मिल के खाते में जमा कर दिया जाएगा"।**

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2019

No. 1(4)/2019-S P-I.—The Central Government, with a view to facilitate payment of cane dues of the farmers for the current sugar season 2018-19 has notified the Scheme for extending soft loan to sugar mills vide notification No. 1(4)/2019-SP-I dated 02.03.2019.

2. Now, in pursuance of para 6 of the said notification dated 02.03.2019, Central Government has decided that Para 2(ii) and 2(viii) of the notification may be read as under:-

Para 2 (ii): "The bank will consider the loan application of only those sugar mills which would have cleared **latest by 26.03.2019** at least 25% of the cane price payable computed on FRP basis **as on 28.02.2019** for current sugar season 2018-19".

Para 2(viii): "Once the loan is sanctioned and necessary formalities for disbursal are completed, the Bank will obtain from the respective sugar mill the list of farmers alongwith bank account details, borrowable account numbers of farmers who have availed credit facility from the banking system, and regular saving bank or current account numbers in respect of farmers who have not availed any credit facility, and the extent of cane dues to be paid computed on the basis of FRP and shall directly remit the funds allocated into the accounts of farmers on behalf of the sugar mill. **Subsequent balance, if any, will then be credited into the mill's account".**

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.03.14 16:08:29 +05'30'